

उपस्थित है।

है

का.सं.

२१/६/१७

उपखण्ड अधिकारी

बसुदा (अजमेर)

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी २, ३ उपस्थित। पुराने वार प्रतिवादी ३
 उपस्थित। वकील वादी प्रतिवादी सरला प. ५ की ललकी हेतु अदाकारी
 ललका का समय लेते रहे ६ बार बार दिवाणत के बावजूद
 ललका का समय कडा नहीं दिया है। कोर्ट विदेश पालका के अक्षमल
 रहते हैं। अतः अदालत ७ निपट ॥ (५) के प्रावधानानुसार सव्यय
 निरस्त किया जाता है। अतः कोर्ट अज्ञात लेकर गम्बल में करे है

है

उपखण्ड अधिकारी

बसुदा (अजमेर)

